प्रकरण सं. 01/16 जमना उनवान सुरेश

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस दुरुस्त की तामील में जारी हुए
27/2/25	पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त अवकाश में है। पत्रावली साविक आदेश दिनांक 18/3/25 को पेश हो। आदेशिका पीठासीन अधिकारी	
18/3/25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी आवे. उप.। अप्रार्थी सं. 11 व 13 के सम्मन पर्याप्त मवास दिये जाने के बावजूद पेश नहीं। न्यायहित में अंतिम मवास दिया जाकर दिनांक 28/5/25 को पेश हो। 18/3/25	
28/5/25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी आवे. उप.। अप्रार्थी सं. 11 व 13 के सम्मन पर्याप्त मवास देने के बावजूद पेश नहीं किये गये हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी सम्मन तलबाने पेश नहीं किये गये हैं। प्रार्थी का उक्त कृत्य आदेश 9 सिविल प्रक्रिया संहिता के आशयात्मक प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को ~~अक्रम संख्या अक्रम संख्या में दाखिल किया~~ आदेश 9 नियम 5 सिविल प्रक्रिया संहिता में खारिज किया जाता है। तिथि सवेर इजलास मुकर्रर की जाती। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो। 28/5/25 सहायक कलक्टर भीलवाड़ा	